सत्यमेव जयते

न्यायालय

सहायक कलक्टर/उपखण्ड अधिकारी

गुढामालानी–बाड़मेर

(पीठासीन अधिकारी –केशव कुमार मीना आर.ए.एस.)

वाद संख्याः– 2024 / 500 दर्ज तिथिः–04.11.2024

वादी		प्रतिवादी
जेताराम वगैरह	बनाम	केसाराम वगैरह
जरिये अधिवक्ता श्री जगदीश कड़वासरा		जरिये अधिवक्ता श्री जगदीश विश्नोई

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश–47 नियम–01	
सिविल प्रक्रिया संहिता–1908	
निर्णय तिथिः–05.05.2025	

–:निर्णयः–

1. आज यह पत्रावली प्रार्थना–पत्र सिविल प्रक्रिया संहिता–1908 के आदेश–47 नियम–01 के अन्तर्गत बाबत् निर्णय प्रस्तुत हुई। प्रकरण का सुक्ष्म एवं सारतः वृतान्त इस प्रकार है कि प्रार्थी द्वारा निवेदन कियाः–
   - कि अदालत हाजा में एक राजस्व आवेदन संख्या 2022 / 400 उनवान जेताराम बनाम केसाराम राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम–1955 की धारा–111, 128 के तहत प्रस्तुत आवेदन में प्रस्तुत किया गया था। जिसका न्यायालय द्वारा अप्रार्थीगण के विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही अमल में लाते हुए दिनांक 30.05.2024 को आवेदन स्वीकार कर पत्रावली दाखिल दफ्तर कर दी गई।
   - कि उक्त प्रकरण संख्या 2022 / 400 में अप्रार्थीगण के विरूद्ध दिनांक 14.02.2023 को एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई गई थी। जिसकी जानकारी अप्रार्थी संख्या 01 ता 05 को होने पर अप्रार्थी संख्या 01 ता 05 द्वारा असालतन–वकालतन हाजिर न्यायालय होकर प्रार्थना पत्र अंतर्गत सिविल प्रक्रिया संहिता–1908 के आदेश–09 नियम–07 का प्रस्तुत किया गया था।
   - कि प्रकरण में अप्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अंतर्गत सिविल प्रक्रिया संहिता–1908 के आदेश–09 नियम–07 के जवाब हेतु मुकर्रर थी परंतु दिनांक 02.03.2024 को अप्रार्थीगण के अधिवक्ता द्वारा नो–इंस्ट्रक्शन कर दिया गया। जिसकी जानकारी अप्रार्थीगण को नहीं थी।
   - कि आवेदित आराजी दो ग्रामों की सीमा पर होने से सही नाप किया जाना सम्भव नहीं है। ऐसी स्थिति में अप्रार्थीगण को सुनवाई का अवसर दिये बिना प्रक[illegible] जाना न्यायसंगत नहीं है।
   - कि अप्रार्थीगण के अधिवक्ता द्वारा दिनांक 02.03.2024 को नो–इंस्ट्रक्शन किये जाने की जानकारी अप्रार्थीगण को नहीं हो सकी। अप्रार्थीगण द्वारा उक्त प्रकरण में अधिवक्ता नियुक्त करने के पश्चात् अप्रार्थीगण यही मानते रहे कि अप्रार्थीगण के अधिवक्ता द्वारा पैरवी की जा रही है। परंतु

Signature Not Verified
Digitally signed by Keshav Kumar Meena
Date: 2025.06.13 19:10:08 IST
Reason: SelfAttested

अप्रार्थीगण के अधिवक्ता द्वारा पैरवी नहीं करने से अधिवक्ता की गलती का खामियाजा पक्षकार को दिया जाना न्यायोचित नहीं है।

- कि विधि का सुस्थापित सिद्धांत है कि किसी प्रकरण में हितबद्ध पक्षकार को सुने बिना कोई निर्णय पारित नहीं किया जा सकता है। इस प्रकार अदालत हाजा का आदेश दिनांक 30.05.2024 अप्रार्थीगण को बिना सुनवाई का अवसर दिए निर्णित किया गया है। अतः प्रकरण में अप्रार्थीगण को जवाब का अवसर दिए बिना प्रकरण का दिनांक 30.05.2024 का निर्णय करने से प्रथम दृष्टया रिकॉर्ड व कार्यवाही की गलती स्पष्ट होती है। इस आधार पर प्रार्थी/प्रतिवादी का पुनरावलोकन का प्रार्थना–पत्र स्वीकार किया जावे।

2. प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को तलब किया गया। अप्रार्थीगण असालतन–वकालतन उपस्थित न्यायालय हुए। प्रकरण में प्रार्थी द्वारा सिविल प्रक्रिया संहिता–1908 के आदेश–47 नियम–01 के अन्तर्गत प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र को खारिज करने का अनुरोध करते हुए जवाब प्रस्तुत कर निम्न प्रकार निवेदन किया–
   - कि प्रकरण में अप्रार्थीगण के विरूद्ध दिनांक 14.02.2023 को एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई गई। जिसमें अप्रार्थीगण द्वारा दिनांक 10.04.2023 को प्रार्थना पत्र आदेश–09 नियम–07 का प्रस्तुत किया गया। तत्पश्चात् दिनांक 06.05.2024 को अप्रार्थीगण अधिवक्ता द्वारा नो–इंस्ट्रक्शन किये जाने से पत्रावली बहस में नियत की जाकर प्रकरण का निस्तारण दिनांक 30.05.2024 को किया गया।
   - कि प्रकरण में अप्रार्थीगण को अपने विरूद्ध लम्बित न्यायिक कार्यवाही की भलीभांति जानकारी थी। जिसके संबंध में अप्रार्थीगण द्वारा लम्बे अर्से तक अप्रार्थीगण द्वारा कोई पैरवी नहीं की गई। जिससे न्यायालय द्वारा प्रकरण का गुणावगुण पर निस्तारण किया जा चुका है।
   - कि अप्रार्थीगण द्वारा बिना पर्याप्त कारण प्रस्तुत किए पुनरवलोकन का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है। अतः प्रार्थना–पत्र सारहीन व गलत मंशा से प्रस्तुत किए जाने के कारण काबिल–ए–खारिज है।

3. प्रकरण में बहस उभयपक्षकारान सुनी गई। दौराने बहस प्रतिवादी अधिवक्ता ने अपने प्रार्थना पत्र के तथ्यों को दोहराते हुए पुनरावलोकन का प्रार्थना पत्र स्वीकार किए जाने का निवेदन किया। इसी प्रकार दौराने बहस वादी अधिवक्ता ने अपने प्रार्थना पत्र के जवाब के तथ्यों को दोहराते हुए पुनरावलोकन का प्रार्थना पत्र खारिज किए जाने का निवेदन किया। प्रकरण में पत्रावली का अवलोकन किया गया व बहस पर मनन किया गया है।

4. प्रकरण में विधिक प्रावधान एवं न्यायिक दृष्टांतों के संदर्भ में सिविल प्रक्रिया संहिता–1908 के आदेश–47 नियम–01 के अवलोकन से ज्ञात होता है कि किसी प्रकरण का न्यायालय को पुनरावलोकन करने हेतु सिविल प्रक्रिया संहिता–1908 की धारा–114 के तहत कोई सीमा निर्धारित नहीं की गई है। परंतु सिविल प्रक्रिया संहिता–1908 के आदेश–47 नियम–01 के तहत किसी प्रकरण का न्यायालय को पुनरावलोकन करने हेतु सीमा निर्धारित की गई है। उक्त सीमाएं निम्न प्रकार हैंः–
   - किसी प्रक[illegible]त् महत्वपूर्ण साक्ष्य या अन्य कोई तथ्य का उपस्थित होना।
   - किसी प्रकरण में निर्णय में रि[illegible] या प्रक्रिया की त्रुटि होना।
   - अन्य कोई महत्वपूर्ण त्रुटि होना।

Signature Not Verified
Digitally signed by Keshav Kumar Meena
Date: 2025.06.13 19:10:08 IST
Reason: SelfAttested

5. इस प्रकार सिविल प्रक्रिया संहिता–1908 के आदेश–47 नियम–01 के तहत किसी प्रकरण का न्यायालय को पुनरावलोकन करने हेतु प्रथम बिन्दु के तहत किसी प्रकरण में निर्णय के पश्चात् कोई महत्वपूर्ण साक्ष्य या अन्य कोई तथ्य का उपस्थित होना आवश्यक है। उपरोक्त विधिक प्रावधान एवं न्यायिक दृष्टांतों के संदर्भ में सिविल प्रक्रिया संहिता–1908 के आदेश–47 नियम–01 के अवलोकन से ज्ञात होता है कि किसी प्रकरण में निर्णय के पश्चात् कोई महत्वपूर्ण साक्ष्य या अन्य कोई तथ्य का उपस्थित होना ही पर्याप्त नहीं है। अपितु पुनरावलोकन हेतु याची को यह साबित करना अनिवार्य है कि प्रकरण के निर्णय के समय उक्त महत्वपूर्ण साक्ष्य या अन्य कोई महत्वपूर्ण तथ्य न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करने में पर्याप्त कारणों की वजह से असमर्थता या तत्समय उक्त महत्वपूर्ण साक्ष्य या अन्य कोई महत्वपूर्ण तथ्यों तक पहुंच या जानकारी याची को उपलब्ध नहीं थी। यहां उल्लेखनीय है कि किसी प्रकरण में निर्णय के पश्चात् कोई महत्वपूर्ण साक्ष्य या अन्य कोई तथ्य का उपस्थित होना ही पर्याप्त नहीं है। अपितु किसी प्रकरण में निर्णय के पश्चात् कोई महत्वपूर्ण साक्ष्य या अन्य कोई तथ्य का उक्त निर्णय को परिवर्तित, प्रभावित करने की क्षमता रखने वाला तथ्य / साक्ष्य होना भी आवश्यक है।

6. इस प्रकार सिविल प्रक्रिया संहिता–1908 के आदेश–47 नियम–01 के तहत किसी प्रकरण का न्यायालय को पुनरावलोकन करने हेतु द्वितीय बिन्दु के तहत किसी प्रकरण में निर्णय में रिकार्ड या प्रक्रिया की त्रुटि होना आवश्यक है। उपरोक्त विधिक प्रावधान एवं न्यायिक दृष्टांतों के संदर्भ में सिविल प्रक्रिया संहिता–1908 के आदेश–47 नियम–01 के अवलोकन से ज्ञात होता है कि किसी प्रकरण में निर्णय में रिकार्ड या प्रक्रिया की त्रुटि प्रकरण के रिकार्ड पर स्पष्ट साबित हो। किसी प्रकरण में पत्रावली के तथ्यों के गहन अवलोकन व विश्लेषण तथा तार्किक मनन के पश्चात् किसी त्रुटि को खोजना या त्रुटि तक पहुचना पुनरावलोकन याचिका में अनुमत नहीं है। यहां उल्लेखनीय है कि किसी प्रकरण में निर्णय में रिकार्ड या प्रक्रिया की त्रुटि होना प्रकरण के रिकार्ड के प्रथमदृष्टया अवलोकन से स्पष्ट होना है।

7. इस प्रकार सिविल प्रक्रिया संहिता–1908 के आदेश–47 नियम–01 के तहत किसी प्रकरण का न्यायालय को पुनरावलोकन करने हेतु तृतीय बिन्दु के तहत किसी प्रकरण में निर्णय में अन्य कोई महत्वपूर्ण व पर्याप्त कारण होना आवश्यक है। उपरोक्त विधिक प्रावधान एवं न्यायिक दृष्टांतों के संदर्भ में सिविल प्रक्रिया संहिता–1908 के आदेश–47 नियम–01 के अवलोकन से ज्ञात होता है कि किसी प्रकरण में निर्णय में अन्य कोई महत्वपूर्ण व पर्याप्त कारण होना प्रकरण के रिकार्ड पर स्पष्ट साबित हो। यहां उल्लेखनीय है कि किसी प्रकरण में निर्णय में अन्य कोई महत्वपूर्ण व पर्याप्त कारण की कोई स्पष्ट परिभाषा नहीं है। परन्तु निर्णय में अन्य कोई महत्वपूर्ण व पर्याप्त कारण का क्षेत्र सिविल प्रक्रिया संहिता–1908 के आदेश–47 नियम–01 के प्रावधान में उल्लेखित प्रथम दो बिन्दुओं से सुसंगत होना चाहिए।

8. प्रकरण में सिविल प्रक्रिया संहिता–1908 के आदेश–47 नियम–01 के प्रावधानों की व्याख्या व विधि की स्थिति को जानने के पश्चात् अब प्रकरण में उक्त कानूनी प्रावधानों न्यायिक दृष्टांतों के संदर्भ में सिविल प्रक्रिया संहिता–1908 के तहत प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र उक्त प्रावधान व न्यायिक दृष्टांतों द्वारा प्रतिपादित परीक्षण पर जांच किया जाना आवश्यक है। प्रकरण में प्रार्थी का कथन है कि अदालत हाजा का आदेश दिनांक 30.05.2025 अप्रार्थीगण [illegible] सुनवाई का अवसर दिए निर्णित किया गया है। अतः प्रकरण में अप्रार्थीगण को [illegible] अवसर दिए बिना प्रकरण का दिनांक 30.05.2025 को निर्णय करने से प्रथम दृष्टया रिकॉर्ड व कार्यवाही की गलती स्पष्ट होती है। इस प्रकार पत्रावली पर रिकार्ड या प्रक्रिया की त्रुटि प्रथम

Signature Not Verified
Digitally signed by Keshav Kumar Meena
Date: 2025.06.13 19:10:08 IST
Reason: SelfAttested

दृष्टया स्पष्ट है। अतः पत्रावली का पुनरावलोकन स्वीकार किया जाकर पत्रावली का गुणावगुण पर निर्णय किया जावे।

9. प्रकरण में पत्रावली की फर्द अहकाम के अवलोकन से ज्ञात होता है कि प्रकरण में अप्रार्थीगण के विरूद्ध दिनांक 14.02.2023 को एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई गई। जिसमें अप्रार्थीगण द्वारा दिनांक 10.04.2023 को प्रार्थना पत्र आदेश—09 नियम—07 का प्रस्तुत किया गया। तत्पश्चात् दिनांक 06.05.2024 को अप्रार्थीगण अधिवक्ता द्वारा नो—इंस्ट्रक्शन किये जाने से पत्रावली बहस में नियत की जाकर प्रकरण का निस्तारण दिनांक 30.05.2024 को किया गया। दिनांक 06.05.2024 को अधिवक्ता अप्रार्थीगण द्वारा नो—इंस्ट्रक्शन किये जाने के संबंध में अधिवक्ता अप्रार्थीगण के हस्ताक्षर पत्रावली पर मौजूद है। इस प्रकार दौरान—ए—बहस फर्द अहकाम पर अप्रार्थीगण अधिवक्ता के हस्ताक्षर किए जाने से प्रतिवादी को सुनवाई का अवसर दिया जाना स्पष्ट है।

10. इस प्रकार अप्रार्थीगण का यह कहना कि दिनांक 30.05.2024 का आदेश अप्रार्थीगण को बिना सुने निर्णित किया गया है, उक्त कथन साबित नहीं है। साथ ही प्रतिवादी द्वारा दिनांक 30.05.2024 के निर्णय में या पत्रावली पर प्रकरण में निर्णय के पश्चात् कोई महत्वपूर्ण साक्ष्य या अन्य कोई तथ्य का उपस्थित होना अभिकथित नहीं किया है। साथ ही प्रतिवादी द्वारा दिनांक 30.05.2024 के निर्णय में या पत्रावली पर प्रकरण में निर्णय में रिकार्ड या प्रक्रिया की त्रुटि होना अभिकथित नहीं किया है। साथ ही प्रतिवादी द्वारा दिनांक 30.05.2025 के निर्णय में या पत्रावली पर प्रकरण में निर्णय में अन्य कोई महत्वपूर्ण व पर्याप्त कारण होना अभिकथित नहीं किया है। इस प्रकार प्रतिवादी का प्रार्थना पत्र सिविल प्रक्रिया संहिता—1908 के आदेश—47 नियम—01 के तहत किसी भी बिन्दु के अंतर्गत नहीं आता प्रतीत होता है। अतः प्रकरण का पुनरावलोकन किया जाना उचित प्रतीत नहीं होता है। अतः

आदेश है कि

वादी द्वारा उक्त सिविल प्रक्रिया संहिता—1908 के धारा—151 के तहत प्रस्तुत प्रार्थना—पत्र अस्वीकार किया जाता है।

यह निर्णय मेरे द्वारा आज दिनांक 05.05.2025 को लिखवाया जाकर हस्ताक्षर एवं मोहर युक्त जारी किया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

(केशव कुमार मीना आर.ए.एस)
सहायक कलक्टर
गुढ़ामालानी—बाड़मेर

Signature Not Verified

Digitally signed by Keshav Kumar Meena
Date: 2025.06.13 19:10:08 IST
Reason: SelfAttested